लोकास्त्र : सूचना का अधिकार कानून

अधिनियम को जानें-

-गतांक से आगे...

कार्यों का निरीक्षण

1. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-2 (जे) (1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार है। इसके तहत मैं निम्नलिखित कार्य का निरीक्षण करना चाहता हूँ। कृपया मुझे तिथि, समय व स्थान बतायें जब मैं आकर इस कार्य की जांच कर सकूँ।

कार्य का विवरण

2. मैं निरीक्षण के समय इस कार्य से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों का भी निरीक्षण करना चाहूंगा, इसलिए निरीक्षण के समय ये दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराएं:—

क. मेज़रमेंट बुक
ख. खर्चों का विवरण
ग. रेखाचित्र
घ. अन्य :

इन दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद यदि मुझे किसी दस्तावेज की प्रति की आवश्यकता होगी तो कानून के तहत निर्धारित फीस लेकर प्रतियां उपलब्ध कराएं।

3. धारा-2 (जे) (3) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को सरकारी कार्यों में प्रयोग की गई सामग्री का विभाग द्वारा प्रमाणित नमूना लेना चाहता हूँ। नमूना मेरे द्वारा तय स्थान से मेरी उपस्थिति में विभाग द्वारा एकत्र किया जाए और यह सीलबंद हो तथा विभाग द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि सीलबंद नमूना कार्य की सामग्री का असली नमूना है। कृपया मुझे स्थान समय तथा तिथि सूचित करें जब मैं निरीक्षण के लिए आ सकूं।

भ्रष्टाचार से संबन्धित शिकायतों की स्थिति

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
केंद्रीय सतर्कता आयोग
नई दिल्ली

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं—

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिनांक... .... से ...... के बीच प्राप्त की गई शिकायतों का संक्षिप्त विवरण, क्या शिकायत गुमनाम थी, शिकायत की तिथि, उस अधिकारी या प्राधिकरण का पूरा विवरा (नाम, पद तथा संपर्क का पता आदि) जिसके खिलाफ शिकायत की गई है।
2. उपर्युक्त में से कौन सी शिकायतें तुरन्त खारिज कर दी गई तथा कौन सी आगे की जांच के लिए स्वीकार की गई, केस के अनुसार शुरूआती जांच की तिथि या खारिज करने का संक्षिप्त कारण का विवरण भी दें।
3. आगे की जांच के लिए स्वीकार की गई शिकायतों में से कितने मामलों में जांच बंद हो चुकी है?प्रत्येक के बंद होने का संक्षिप्त विवरण दें।
4. विभिन्न कानून, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, मैन्युअल आदि के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद कितने समय बाद जांच पूरी हो जाती है। कृपया ऐसे दिशानिर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएं। जिसमें शिकायत प्राप्ति से लेकर उस पर कार्यवाही और दण्डारोपण तक के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा का वर्णन हो।
5. दिनांक........से अब तक आयोग को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?उनमें से कितनी तत्काल खारिज कर दी गई तथा कौन सी आगे की जांच के लिए रखी गईं?जांच के लिए रखी गई शिकायतों में से कितनी शिकायतों की छानबीन में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रु. अलग से जमा कर रहा हूँ।

भवदीय

....

जन शिकायत निवारण व्यवस्था

1. वित्तीय वर्ष........... के दौरान जनता से प्राप्त कुल शिकायतों की सूची उपलब्ध कराएं।
2. कृपया इन सभी शिकायतों की प्रमाणित प्रति दें।
3. इन सभी शिकायतों पर अब तक की गई कार्यवाही का पूरा विवरण दें।
4. नियम और कानून के अनुसार कितने समय में इनमें से हरेक शिकायत का हल हो जाना चाहिए?
5. यदि अधिकारी इस समय सीमा का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है?
6. इनमें से प्रत्येक शिकायत के निवारण में देरी के क्या कारण हैं?
7. शिकायतों के निवारण में देर होने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

व्यवसायीकरण

यह सूचना .... क्षेत्र से संबन्धित है जहां बड़ी संख्या में लोग सभी नियमों तथा कानूनों को तोड़कर अपने घरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ के निवासियों को बहुत असुविधा हो रही है। इस मुद्दे पर निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराएंः

1. उपरोक्त क्षेत्र में उन सभी भवनों की सूची आदान करें जिनका उपयोग कानून का उल्लंघन करते हुए व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।
2. ऐसे प्रत्येक मामले में किस तरह के कानूनों का उल्लंघन हो रहा है और किस प्रकार। इसका विवरण दें।
3. आपके विभाग को इन उल्लंघनों के बारे में सबसे पहले कब जानकारी मिली?
4. इन उल्लंघनों की जानकारी मिलने के बाद इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इसका पूरा विवरण दें।
5. कृपया उन नियमों, कानूनों और सरकारी आदेशों की जानकारी दें जिनकी आवासीय संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग करने के कारण उल्लंघन हुआ है।
6. आवासीय संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग करने के मामले में निर्धारित सजा अथवा नियम के मुताबिक की जाने वाली कार्रवाई का विवरण दें।
7. ऐसे प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई से संबंधित सभी दस्तावेजों व फाइलों का निरीक्षण करना चाहता हूँ। कृपया मुझे दिन, समय तथा स्थान के बारे में सूचित करें जब मैं निरीक्षण के लिए आ सकूं।
8. यदि किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो क्यों?
9. मैं ऐसे प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई से संबंधित सभी दस्तावेजों व फाइलों का निरीक्षण करना चाहता हूँ। कृपया मुझे दिन, समय तथा स्थान के बारे में सूचित करें जब मैं निरीक्षण के लिए आ सकूं।
10. उन अधिकारियों के नाम, पद और संपर्क का विवरण बताएं, जो इन अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं।
11. क्या ये अधिकारी कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई नहीं करने के कारण आचारा-निवारण कानून की धारा 13(घ) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 217 भ्रष्टाचार के उल्लंघन के दोषी हैं।
12. ये अधिकारी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने, कानून का उल्लंघन करने वालों को लाभ पहुंचाने के लिए और कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही के लिए भी दोषी हैं। ये मामले कब तक निगरानी विभाग को सौंप दिए जाएंगे?
13. इन अधिकारियों के खिलाफ अब आगे कब और क्या कार्रवाई की जाएगी?
14. उपर्युक्त अतिक्रमण (आवासीय संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग) कब तक पूर्ण रुप से रोक अथवा हटा दिए जाएंगे?
15. उपरोक्त क्षेत्र से दिनांक .... से .... के दौरान आपके विभाग को .... से आवासीय संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग करने की कृल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? प्रत्येक शिकायत की डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
16. कृपया उन अधिकारियों के नाम तथा पद उनके संपर्क के पते के साथ बताएं जिनके पास इस दौरान मेरा आवेदन गया। कृपया यह भी बताएं कि आवेदन किस अधिकारी के पास कितने समय तक रहा तथा उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की?

अतिक्रमण

निम्नलिखित निर्माणों में सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है।

कृपया इस संबन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं :

1. इन मामलों में से प्रत्येक में अतिक्रमित सरकारी भूमि का क्षेत्रफल बताएं।
2. ये अतिक्रमण किस प्रकार के हैं, विवरण दें? ❑

सरकारी वकीलों को दोहरी राहत

❍डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, एडवोकेट

दिल्ली (ज.आ.)। विधि मंत्रालय भारत सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी एक जानकारी को देते हुए कहा कि सरकारी वकीलों के निजी कंपनियों और निकायों की पैरवी करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है बशर्ते इनका विवाद सरकार से न हो। यह जानकारी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी (Attorny General) जी.ई. बाहनवती के उच्चतम न्यायालय में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की पैरवी करने के कारण मांगी गयी थी, कि क्या देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी किसी संस्था की पैरवी न्यायालय में कर सकते हैं?

विधि मंत्रालय ने जानकारी में कहा है कि विधि. अधिकारी नियम 1987 के तहत सरकारी वकीलों को निजी निकायों की पैरवी करने की छूट है वैसे इस प्रशनगत प्रकरण में एटार्नी जनरल ने पूर्व अनुमति भी ले रखी थी।

एक अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के विद्वान न्यायमूर्तिद्वय देवी प्रसाद सिंह एवं वी.एस. दीक्षित ने सरकारी अधिवक्ताओं की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने पर अपनी व्यवस्था दी है।

इस अंतरिम आदेश में जनपद के सरकारी अधिवक्ताओं को राहत देते हुए कहा कि सरकारी वकीलों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा अभी 62 वर्ष ही रहेगी तथा पूर्व में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी सेवानिवृत्त की आयु सीमा संबंधी प्रोटेक्शन का लाभ फिलहाल याचिका कर्ता सरकारी वकीलों को मिलेगा।

ज्ञात हो कि एटा, आगरा, मैनपुरी तथा इटावा के 18 सरकारी वकीलों ने एक को 60 याचिका दायर कर प्रार्थना की थी कि राज्य सरकार के 11 दिसम्बर के उस आदेश को निरस्त कर दिया जाय जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को 60 वर्ष होने पर हटा दिया गया था इसके पूर्व में एक प्रकरण में 4 सितम्बर 2008 को उचच न्यायालय ने इस संशोधन पर रोक लागयी थी जिसके विरूद्ध राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय गयी जिसमें अभी 3 दिसम्बर को उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण को उच्च न्यायालय रिमाण्ड करते हुए कहा कि फिलहाल पूर्व में स्थगन आदेश पाने वाले अधिवक्ताओं को डिस्टर्व नहीं किया जायगा। ❑